न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 58/2017

बउनवान

सत्यनारायण पुत्र श्री रामलाल उम्र 70 वर्ष जाति–काछी
निवासी–बावडीखेडा तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 19.08.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बावडीखेडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 264/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं प्रक्रिया एवं विधि के संचायिका के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना, सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना एवं बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अतिक्रमित दर्शायी गयी आराजी पर अपीलांट ने किसी प्रकार की फसल काश्त नहीं की है ना हीं कोई कब्जा रहा है उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां का निर्णय दिनांक 17.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील प्रोपर नहीं

करायी है। अनुनस्थिति में अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। जबकि अपीलांट ने उक्त आराजी से कई वर्षो से कब्जा छोड रखा है। अपने कथन के समर्थन में हल्का पटवारी बावडीखेडा की रिपोर्ट दिनांक 15.07.2019 पेश की। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई रेकार्ड व दस्तावेजात् नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती माना जाना विधि विरूद्व एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 744/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 744/13 निर्णय दिनांक 13.03.2013 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 50/14 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.09.17 10:41:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: